भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 647
03 फरवरी,2026 को उत्तरार्थ

विषय: कीटों के प्रकोप और खराब मौसम के कारण फसलों को नुकसान

647. डॉ. मल्लू रविः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान कीटों के प्रकोप, बेमौसम वर्षा और हवा से हुई क्षति के कारण नागरकुरनूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आम, कपास, दलहन या अन्य प्रमुख फसलों के खराब होने (हेक्टेयर और अनुमानित मूल्य में) के संबंध में आंकड़े प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने किसान इससे प्रभावित हुए हैं और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) जैसी फसल हानि प्रतिपूर्ति योजना अथवा अन्य राहत निधियों के अंतर्गत इन नुकसानों की भरपाई के लिए सहायता हेतु कितने किसानों ने पंजीकरण कराया है;

(ग) इसी अवधि के दौरान इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रदत्त दावों बनाम लंबित दावों के संबंध में आंकड़े क्या हैं; और

(घ) बार-बार होने वाले कृषि संकट को कम करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली, कीट प्रबंधन सहायता और आपदा राहत भुगतान को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, अधिसूचित आपदाओं के मद्देनजर जमीनी स्तर पर आवश्यक राहत उपाय प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के रूप में उपलब्ध निधियों से प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत उपाय करती हैं। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित आकलन सहित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एसडीआरएफ के अलावा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है । एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के लिए होती है, न कि मुआवजे के लिए।

तेलंगाना राज्य सरकार को एसडीआरएफ के तहत वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 582.40 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सेदारी 436.80 करोड़ रुपये + राज्य हिस्सेदारी 145.60 करोड़ रुपये) की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में 218.40 करोड़ रुपये की पहली किस्त राज्य को जारी की गई है।

जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण फसलों को हुए नुकसान/क्षति से संबंधित आंकड़े केंद्रीय स्तर पर संग्रहित नहीं किए जाते हैं। हालांकि, तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2024-25 और 2025-2026 के दौरान भारी बारिश/बाढ़/चक्रवात/बेमौसम बारिश/ओलावृष्टि के कारण कृषि और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा, नागरकुरनूल संसदीय क्षेत्र में वर्ष 2024-25 और 2025 के दौरान 15,756 हेक्टेयर क्षेत्र में भारी बारिश/बाढ़/चक्रवात/बेमौसम बारिश/ओलावृष्टि के कारण कृषि और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे 36,550 किसान प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार विभिन्न आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त सभी प्रकार की फसलों के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि प्रदान करती है।

(ख) एवं (ग): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों और क्षेत्रों के लिए फसल बुवाई पूर्व से लेकर कटाई पश्चात तक फसल क्षति के एवज में व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है। यह स्कीम राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। सभी इच्छुक किसान इस स्कीम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। तेलंगाना सरकार ने वर्ष 2016 में स्कीम की शुरुआत से लेकर रबी 2019-20 के मौसम तक इसे कार्यान्वित करने के बाद, इससे बाहर निकलने का विकल्प चुना। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान तेलंगाना में पीएमएफबीवाई क्रियान्वित नहीं की गई है।

(घ): भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने जनता और संबंधित स्टेकहोल्डर्स को लगातार समय पर चेतावनी और पूर्वानुमान जारी किए हैं। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को चिन्हित स्थानों पर संबंधित राज्य सरकारों को 24 घंटे पहले अल्पकालिक बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने के लिए अधिदेशित किया गया है। एक निश्चित सीमा तक पहुंचने पर समय पर बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं।

आईएमडी प्रभावी और कुशल मौसम एवं जलवायु पूर्वानुमान सेवाएं प्रदान करने के लिए वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम मानकों और प्रचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन करता है। विभिन्न प्रतिकूल मौसम एवं जलवायु घटनाओं के लिए आईएमडी द्वारा जारी किए गए प्रचालन पूर्वानुमानों की सटीकता, विश्व के अन्य विकसित देशों की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवाओं के समतुल्य होती है।

आईएमडी आवश्यक तैयारी करने और शमन उपायों में सहायता के लिए अत्याधुनिक प्रसार प्रणाली का उपयोग करके आपदा प्रबंधन अधिकारियों और आम जनता के साथ विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से सभी गंभीर मौसम संबंधी जानकारी और पूर्व चेतावनी साझा करता है। आईएमडी ने मानव जीवन, आजीविका और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर विनाशकारी प्रभाव डालने वाली चक्रवात, बाढ़ और लू जैसी सभी प्रकार की प्रतिकूल मौसम घटनाओं का पता लगाने, निगरानी करने और समय पर पूर्व चेतावनी प्रदान करने हेतु तटीय और ग्रामीण समुदाय सहित पूरे देश के लिए समय-समय पर नई तकनीकों और प्रौद्योगिकी को अपनाया है।

हाल ही में, भारत को "वेदर रेडी और क्लाइमेट-स्मार्ट" राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ, एमओईएस द्वारा "मिशन मौसम" नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र स्कीम शुरू की गई है।

सीडब्ल्यूसी ने बाढ़ की चेतावनियों को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रसार तंत्रों को अपनाते हुए कई कदम उठाए हैं, ताकि राज्य सरकारें, एसडीएमए, एनडीएमए और आम जनता राहत उपाय अपना सकें। इसके अलावा, देश में बाढ़ की स्थिति और 7 दिनों तक के बाढ़ पूर्वानुमान से संबंधित जानकारी को मोबाइल फोन के माध्यम से जनता तक रियल टाइम में पहुंचाने के उद्देश्य से, सीडब्ल्यूसी द्वारा 'फ्लड वॉच इंडिया' मोबाइल एप्लिकेशन का संस्करण 2.0 विकसित किया गया है, जो देश भर में बाढ़ की स्थिति पर नवीनतम जानकारी प्रदान करता है।

सरकार अपने जमीनी कार्यकर्ताओं के माध्यम से किसानों को विभिन्न कार्यक्रमों, प्रशिक्षणों, बैठकों आदि के आयोजन द्वारा नियमित रूप से जागरूक कर रही है। आईएमडी/भारत सरकार मौसम संबंधी कृषि परामर्श को किसानों तक समय रहते पहुंचाता है ताकि खराब मौसम के कारण फसलों को होने वाले नुकसान को रोका जा सके।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) देश भर में स्थित अपने 47 केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्रों (सीआईपीएमसी) के माध्यम से नियमित रूप से सर्वेक्षण और निगरानी करता है ताकि किसानों में जागरूकता पैदा की जा सके और कीटों व रोगों के प्रबंधन के लिए तदनुसार परामर्श जारी किए जा सकें।

किसानों को कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे किसान क्षेत्र विद्यालय (एफएफएस), दो दिवसीय एचआरडी कार्यक्रम और बीज उपचार अभियान आयोजित किए जाते हैं। इन जागरूकता कार्यक्रमों में किसानों को

पंजीकरण समिति द्वारा अनुमोदित कीटनाशकों का अनुशंसित मात्रा में आवश्यकतानुसार उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान किसानों को एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे कीटों का कल्चरल और यांत्रिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण एजेंट, जैविक कीटनाशक/जैविक उर्वरकों का उपयोग और आवश्यकता पड़ने पर अंतिम उपाय के रूप में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करना।

इसके अलावा, तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में एक सीआईपीएमसी स्थापित किया गया है। यह आईपीएम केंद्र राज्य में, विशेष रूप से नागरकुरनूल संसदीय क्षेत्र में, कीटों की स्थिति का आकलन करने के लिए नियमित रूप से सर्वेक्षण और निगरानी करता है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आईपीएम जानकारी का प्रसार करता है। नागरकुरनूल जिले में आम, कपास, दलहन और अन्य फसलों के विभिन्न कीटों और रोगों के प्रबंधन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त होने पर, एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) का गठन किया जाता है और उसे मौजूदा नियमों और मानदंडों के अनुसार नुकसान का आकलन करने और राहत कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि का आकलन करने के लिए भेजा जाता है। आईएमसीटी की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति (एससी-एनईसी) द्वारा विचार किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता सचिव (बाढ़ आदि के मामले में गृह मंत्रालय) / सचिव (सूखा, कीट प्रकोप, ओलावृष्टि और शीत लहर के मामले में कृषि और किसान कल्याण विभाग) करते हैं। इसके बाद, गृह मंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी), जिसमें वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष शामिल होते हैं, एससी-एनईसी की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करती है। एचएलसी एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता की राशि को मंजूरी देती है, जो राज्य को उपलब्ध कराई जाती है और राज्य के एसडीआरएफ में उपलब्ध शेष राशि के समायोजन के अधीन होती है।

*****